

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2017/
प्रति,

5829

छिंदवाड़ा दिनांक

23/11/17

संभागीय प्रबंधक,

एम.पी.आर.डी.सी. संभाग

नर्मदापुरम होशंगाबाद,

विषय :-

Diversion of 19.653 ha(out of 31.679) Reserved Protected & Revenue Forest land for construction of Betul - Sarni-Tekadhana -Junnardev- Parasia Road State Highway No. 43 in favour of Chief Engineer , (BOT)MP Road Development Corporation in chhindwara District of MP.

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपी सी 008/2015-बीएचओ/374 दिनांक 28.04.2015
2. भारत सरकार पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपी सी 008/2015-बीएचओ/765 दिनांक 10.10.2017
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० प्रगति भवन भोपाल के पृ.क्र./मा.चि./राजमार्ग क्रमांक 43/13-6/2930 दिनांक 05.05.2017
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष- भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के पृ.क्र.एफ - 5 / 755 /2014/10 - 11/3079 दिनांक 16.10.2017
5. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5254 दिनांक 01.11.2017 एवं 5535 दिनांक 08.11.2017 एवं 2002 दिनांक 15.11.2017

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र (1) से भारत सरकार द्वारा बैतूल-सारणी-टेकाढाना-जुन्नारदेव-परासिया राज्य मार्ग क्र. 43 रकबा 31.679 हे० में से 19.653 हे० की प्रथम चरण की स्वीकृति जारी की गई है।

संदर्भित पत्र (2) से भारत सरकार द्वारा बैतूल-सारणी-टेकाढाना-जुन्नारदेव-परासिया राज्य मार्ग क्र. 43 शेष रकबा 12.026 हे० की प्रथम चरण की स्वीकृति जारी की गई है। संदर्भित पत्र (2) में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7 के अनुसार मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० भोपाल के पत्र दिनांक 05.05.2017 में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन आवेदक विभाग से कराकर शर्तवार प्रतिवेदन एवं वचन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संदर्भित पत्र (3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० प्रगति भवन भोपाल के पृ.क्र./मा.चि./राजमार्ग क्रमांक 43/13-6/2930 दिनांक 05.05.2017 द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक 4.4 के पालन हेतु मार्ग के निर्माण लागत की 5 प्रतिशत राशि आपके द्वारा कैम्पा मद में जमा कराया जाना है।

संदर्भित पत्र (2) में अधिरोपित शर्त क्रमांक 5 (सी) के पालन हेतु अवैध उत्खनित रकबा 2.35 हे० के एवज में दांडिक एन.पी.व्ही की राशि 8.03 लाख/हे० से शर्त अनुसार 60 प्रतिशत लिया जाना शर्त में लागू किया गया है।

अतः प्रकरण में दांडिक एन.पी.व्ही की राशि रकबा 2.35 हे० का 8.03 लाख प्रति हे० की दर से 60 प्रतिशत राशि रु. 1132230.00 का निर्धारण किया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल के पृ.क.2930 दिनांक 05.05.2017 में दर्शित शर्त क्रमांक 4.4 वन क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण/चौड़ीकरण किये जाने वाले मार्ग के निर्माण लागत राशि की 5 प्रतिशत राशि संबंधित संरक्षित क्षेत्र एवं कारीडोर के विकास हेतु आवेदक संस्था द्वारा कैम्पा खाते में जमा की जावेगी की शर्त लागू की गई है।

शर्तानुसार कारीडोर के विकास हेतु प्रोजेक्ट लागत राशि रु. 12,07,90,000.00 का 5 प्रतिशत राशि रु. 60,39,500.00 का आंकलन किया गया है।

संदर्भित पत्र (2) में अधिरोपित शर्त क्रमांक 3 (सी) के पालन हेतु दांडिक वै. वृ.रो.योजना की राशि आवेदक संस्थान से 5 हे० बिगड़े वन क्षेत्र में सी.ए. की राशि जमा करवाना शर्त में लागू किया गया है।

अतः प्रकरण में अवैध उत्खनित रकबा 2.35 हे० के एवज में पूर्व में 4.70 हे० की वै.वृ.रोपण योजना जिसकी कुल लागत रु 63,40,000.00 तैयार की गई थी, आपके द्वारा कैम्पा मद राशि रु. 5763678.00 जमा किया गया है एवं पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रु. 576322.00 डी.डी. द्वारा जमा किया गया है।

वर्तमान में शर्तानुसार रकबा 5 हे० दांडिक वै. वृ.रो.योजना की राशि रु. 7228256.00 का निर्धारण किया गया है।

वर्तमान में तैयार की गई वै.वृ.रो. योजना की राशि रु. 7228256.00 पूर्व में तैयार की गई वै.वृ.रो. योजना की राशि रु. 63,40,000.00 (72,28,256.00-63,40,000.00 =8,88,256.00) अतः अंतर की राशि रु. 8,88,256.00 जमा किया जाना है।

दांडिक एन.पी.व्ही की राशि रु. 11,32,230.00 एवं कारीडोर के विकास हेतु प्रोजेक्ट लागत राशि का 5 प्रतिशत राशि रु. 60,39,500.00 कुल राशि 71,71,730.00 एवं दांडिक वै. वृ.रो.योजना के अंतर की राशि रु. 8,88,256.00 आपके द्वारा जमा किया जाना है।

राशि किस मद में जमा किया जाना है का विवरण इस प्रकार है:-

विवरण	ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में हस्तांतरित राशि		पर्यवेक्षण शुल्क की राशि वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल के नाम से बैंक के मध्यम से डी.डी. या चैक द्वारा जमा की जाने वाली राशि
	राशि	बैंक का नाम	
दांडिक एन.पी.व्ही की राशि	11,32,230.00	युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुन्दर नगर न्यू दिल्ली खाता क्रमांक 344902010105423 (आईएफएससी कोड UBIN 0534498)	0
कारीडोर के विकास हेतु प्रोजेक्ट लागत राशि का 5 प्रतिशत राशि	60,39,500.00		0
दांडिक वै. वृ.रो.योजना के अंतर की	8,07,464.00		80,792.00
कुल राशि	7979194.00		80,792.00

ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा योग कुल राशि रु. 79,79,194.00 राशि युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुन्दर नगर न्यू दिल्ली खाता क्रमांक 344902010105423 (आईएफएससी कोड UBIN 0534498) एवं पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रु. 80,792.00 वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल के नाम से बैंक के मध्यम से डी.डी. या चैक द्वारा जमा करें। वै.वृ. रो. योजना में निर्धारण की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई है, तकनीकी स्वीकृति जारी होने की प्रत्याशा में राशि की मांग की गई है। यदि योजना में कोई फेरबदल किया जाता है तो राशि की मांग पृथक से की जावेगी।

संदर्भित पत्र क्र. (2) भारत सरकार पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपी सी 008/2015-बीएचओ/765 दिनांक 10.10.2017 एवं संदर्भित पत्र क्र. (3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 प्रगति भवन भोपाल के पृ.क्र./मा.चि./राजमार्ग क्रमांक 43/13-6/2930 दिनांक 05.05.2017 में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(डॉ. किरण बिसेन)
(भा.व.से.2009)
वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

5830

छिन्दवाड़ा, दिनांक/ 23/11/17

पृ. क्रमांक/मा.चि./2017/

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष- भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पृ.क्र. एफ-5 / 755 /2014/10 - 11/3079 दिनांक 16.10.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य अभियंता (बी.ओ.टी.) म0प्र0 सड़क विकास निगम लिमिटेड, 45-ए अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ. किरण बिसेन)
(भा.व.से.2009)
वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

G.M (BOT) / G.M. P. W. S.
23/11

